न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी), आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मेलाराम पुत्र जोरा जी, जाति गरासिया, निवासी निचली फली, गांव निचली बोर, पोस्ट निचलागढ़, तहसील देलदर, जिला सिरोही राजस्थान (प्रार्थी अधिवक्ता श्री सौहन सेन)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2025

दिनांक 27.3.2025

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम निचलीबोर, पटवार हल्का निचलागढ़, तहसील देलदर में निम्न खाता व खसरा संख्या की कृषि भूमि स्थित है :–

(अ) संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2078 अनुसार खाता संख्या 34 की कृषि भूमि :–

	खसरा संख्या		नाप (हैक्टेयर में)
	298		0.1391
कुल खसरा	1	कुल नाप	0.1391

(ब) संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2078 अनुसार खाता संख्या 31 की कृषि भूमिः–

	खसरा संख्या		नाप (हैक्टेयर में)
	176		0.0253
	177		0.1012
	183		0.0506
	184		0.0379
	185		0.3288
	186		0.1012
	187		0.0759
	190		0.0506
	191		0.0253
	192		0.1644
	193		0.1012
	194		0.0379
	195		0.1265
कुल खरारा	13	कुल नाप	1.2268

यह कि उक्त उपपद (अ) में वर्णित कृषि भूमि [illegible] के कब्जे खातेदारी की है और उपपद (ब) में वर्णित कृषिभूमि प्रार्थी व उसके [illegible] के संयुक्त कब्जे खातेदारी की है।

यह कि (अ) में वर्णित खसरें की भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम मेला [illegible]ला दर्ज हो रखा है जबकि उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम [illegible]राम पुत्र जोरा जी हो[illegible]ये था और इसी प्रकार (ब) में वर्णित खसरें की भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम वेला पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत (सि[illegible]ही)

जोरा दर्ज हो रखा है जबकि उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम मेलाराम पुत्र जोरा जी होना चाहिए था क्योंकि प्रार्थी के पिता जोरा जी के केवल तीन पुत्र है जिसमें सबसे बड़ा प्रार्थी मेलाराम उससे छोटा भूरा व सबसे छोटा सामीरा है। यह कि उपरोक्त नाम संबंधी अशुद्धि को सुधारे जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी करें।

स्टेट के जवाब में अंकन है कि ग्राम निचलीबोर की ऑफलाईन जमाबंदी में प्रार्थी का नाम मेला पुत्र जोरा दर्ज था। ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय ग्राम निचलीबोर की जमाबंदी खाता संख्या 31 में प्रार्थी का नाम वेला पुत्र जोरा दर्ज हो गया है एवं इसी प्रकार खाता संख्या 34 में मेला पुत्र वेला दर्ज हो गया है। जो सहवन से लिपिकीय भूल के द्वारा दर्ज हुआ है।

प्रकरण में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर ग्राम निचलीबोर के जमाबंदी खाता संख्या 34 खसरा संख्या 298 रकबा 0.1391 हैक्टेयर में मेला पुत्र वेला गलत दर्ज है तथा जमाबंदी खाता संख्या 31 खसरा 176 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा संख्या 177 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा संख्या 183 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 184 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा संख्या 185 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, खसरा संख्या 186 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा संख्या 187 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खसरा संख्या 190 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 191 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा संख्या 192 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा संख्या 195 रकबा 0.1265 हैक्टेयर में वेला पुत्र जोरा गलत दर्ज है जिसे सही किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजरथान भूराजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम निचलीबोर के जमाबंदी खाता संख्या 34 खसरा संख्या 298 रकबा 0.1391 हैक्टेयर में मेला पुत्र वेला के स्थान पर सही नाम मेलाराम पुत्र जोरा जी तथा जमाबंदी खाता संख्या 31 खसरा 176 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा संख्या 177 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा संख्या 183 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 184 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा संख्या 185 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, खसरा संख्या 186 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा संख्या 187 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खसरा संख्या 190 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 191 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा संख्या 192 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा संख्या 195 रकबा 0.1265 हैक्टेयर में वेला पुत्र जोरा के स्थान पर सही नाम मेलाराम पुत्र जोरा जी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 27/3/2025 को ... सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:21 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत